न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 75/2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
थानाधिकारी, पुलिस थाना
सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. राकेश कुमार पुत्र विरधाराम जाति जाट उम्र 23 वर्ष पेशा ड्राइवरिंग निवासी भटाला पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर जिला बाड़मेर
2. देवाराम उर्फ देवीलाल पुत्र राउरांम जाति जाट निवासी भटाला पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दुर्गाराम पूनियां, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.09.2021 को शुभकरण वृत्ताधिकारी गुडामालानी ने एक प्रकरण दर्ज करवाया कि थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी ने दिनांक 07.09.2021 को जरिये टेलिफोन बताया कि दिनांक 07.09.2021 को दौराने गश्त मन थानाधिकारी मय जाब्ता द्वारा सरहद सड़ा से एक ट्रैक्टर मय टैंकर जिसमें बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। दिनांक 07.09.2021 को बलदेवराम उनि मय जाब्ता श्री उदाराम कानि 1203 के गश्त करते हुए सरहद सड़ा पहुंचे जहां पर ग्राम सड़ा में मेगा हाईवे पर एक बिना नंबर ट्रैक्टर मैसी फर्ग्युसन 241 डीआई चैसिस नंबर MEA8D061AG2076656 इंजन नंबर S3251G85847 जिसके पीछे आसमान्नी रंग का टैंकर जोता हुआ खड़ा दिखाई दिया। उक्त ट्रैक्टर मय टैंकर द्वारा अवैध बायोडीजल विक्रय करने के संदेह पर उक्त ट्रैक्टर चालक को रूकवाकर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पूछताछ करने पर ट्रैक्टर चालक द्वारा भागने का प्रयास किया गया। ट्रैक्टर चालक को दस्तयाब कर नाम–पता पूछने पर अपना नाम राकेश कुमार चौधरी पुत्र विरधाराम जाति जाट उम्र 23 साल निवासी भटाला पुलिस थाना आरजीटी होना एवं ट्रैक्टर के टैंकर में बायोडीजल भरा होना बताया। उक्त बायोडीजल के कब्जे एवं परिवहन करने बाबत लाईसेंस/परमिट तथा बिल/बिल्टी के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त राकेश कुमार द्वारा किसी प्रकार के कागजात नहीं होना बताया। उक्त टैंकर का ढक्कन खोलकर थानाधिकारी बलदेवराम उनि एवं हमरा स्टाफ श्री उदाराम कानि 1203 द्वारा चैक करने पर टैंकर में आधे से थोड़ा कम बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया जिसे दस्तयाब कर अग्रिम कार्यवाही हेतु हमरा थाना लाया गया। उक्त ट्रैक्टर की टंकी के पीछे की तरफ खाली करने हेतु इलेक्ट्रिक पम्प मय नोजल लगा हुआ पाया गया। उक्त टंकी मे भरे हुए बायोडीजलनुमा पदार्थ का नाप करने हेतु टंकी पर लगे पम्प की सहायता से खाली ड्रमों में निकालकर नाप किया गया जो कुल 1072 लीटर पाया गया। उक्तानुसार सीओ सिणधरी की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 0142 दिनांक 09.09.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ, टंकी, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण, एफएसएल कागजात, पूछताछ मुलजिम, मुलजिम द्वारा प्रदत्त धारा 27 की इत्तला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम राकेश कुमार चौधरी पुत्र विरधाराम जाति जाट उम्र 23 साल निवासी भटाला पुलिस थाना आरजीटी द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन बिना नंबर ट्रैक्टर मैसी फर्ग्युसन 241 डीआई चैसिस नंबर MEA8D061AG2076656 इंजन नंबर S3251G85847 जिसके पीछे आसमानी रंग का टैंकर जोता हुआ मय 1070.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत लिखित जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में टैंकर जो खड़ा था उसमें से बायोडीजल जब्त नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी स्वयं द्वारा हस्तगत प्रकरण के इस्तगासे में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त वाहन खड़ा था और उसके वाहन में किसी प्रकार का बायोडीजल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसे इस प्रकरण में केवल वाहन चालक होने के कारण गलत तरीके से गैरसायल बनाया गया है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम राकेश कुमार चौधरी पुत्र विरधाराम जाति जाट उम्र 23 साल निवासी भटाला पुलिस थाना आरजीटी द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता अपने लिखित जवाब में हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंकित तथ्यों को नकारते हुए बताया कि प्रकरण में जब्तशुदा बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम उसके वाहन में नहीं पाया जाना बताया है। इसके अलावा यह भी प्रकट किया हैं कि वाहन के साथ टैंकर में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में अनभिज्ञ हैं जबकि मौके पर चैक करने पर टैंकर में आधे से थोड़ा कम बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया जिसे दस्तयाब कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना लाया गया। उक्त ट्रैक्टर की टंकी के पीछे की तरफ खाली करने हेतु इलेक्ट्रिक पम्प मय नोजल लगा हुआ था जिसमे भरे हुए बायोडीजलनुमा पदार्थ का नाप करने हेतु टंकी पर लगे पम्प की सहायता से खाली ड्रमों में निकालकर नाप किया गया जो कुल 1072 लीटर पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके कब्जे से जब्तशुदा आवश्यक वस्तु के क्रय बिल–बिल्टी के साथ ही परिवहन, संग्रहण एवं बेचान के प्रतिरक्षण स्वरूप उनके द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 1070.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा 1070.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। पुलिस अधीक्षक बाड़मेर उक्त राजसात किये गये सीजशुदा 1070.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। प्रकरण में वाहन बिना नंबर ट्रैक्टर मैसी फर्ग्युसन 241 डीआई चैसिस नंबर MEA8D061AG2076656 इंजन नंबर S3251G85847 जिसके पीछे आसमानी रंग का टैंकर जोता हुआ के स्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत सुपर्दगीनामा निरस्त किया जाता हैं तथा वाहन को जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर